प्रेषक,

राम अवतार प्रसाद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०- 8, कानपुर नगर ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर ।

विषय - पुरानी पेंशन योजना (OLD PENSION SCHEME) का विकल्प ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में ,

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश सं०- 14/2024/ सा-3-243/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित – 28.06.2024 के द्वारा ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के विकल्प की व्यवस्था प्रदान की गयी है ।

इस सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद हेतु विज्ञापन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद के द्वारा विज्ञप्ति सं०-A-2/E-1/2003 दिनांकित - 15 नवम्बर, 2003 को निर्गत की गयी थी । जिसके अनुक्रम प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 के द्वारा निर्गत विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 2430/ दो-4-06-32(1)/ 2001 टी सी-1, लखनऊ : दिनांक 26 मई, 2006 के द्वारा हुई है । इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी NOTIFICATION DATED: ALLAHABAD: June 13,2006 के अनुक्रम में प्रार्थी ने दिनांक- 19.06.2006 को जनपद न्यायालय गोण्डा में अपर सिविल जज(जूनियर डिवीजन) का पदभार ग्रहण किया था । वर्तमान में प्रार्थी अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है ।

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं०- 14/2024/ सा-3-243/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित – 28 जून,2024 तथा शासनादेश सं०- 20/2024/ सा-3-276/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित – 11 जुलाई, 2024 के द्वारा अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प ग्रहण किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है । जिसके अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रांक सं०-9283/VIIb-104/Admin D Section Dated : 08.07.2024 व 9691/IV-F-82(Pension)/Admin. (A) Dated: 16 July, 2024 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रार्थी ने पत्रांक सं०-1744/I/ कानपुर नगर, दिनांकित 24.07-2024 के द्वारा विकल्प पत्र प्रेषित किया था, परन्तु उस विकल्प पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष-माननीय जनपद न्यायाधीश का हस्ताक्षर होने से छूट गया है, जिस कारण प्रार्थी पुनः विकल्प पत्र प्रेषित कर रहा है।

ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर **पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प ग्रहण करता है** । जिसके लिये प्रार्थी शासनादेश सं०- 20/2024/ सा-3-276/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित – 11 जुलाई, 2024 के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर विकल्प पत्र प्रेषित कर रहा है ।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी का अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प पत्र माननीय न्यायालय व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की महती कृपा प्रदान करें । प्रार्थी माननीय महोदय का आजीवन आभारी रहेगा ।

" सादर।"

भवदीय
05.08.2024
(राम अवतार प्रसाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०- 8, कानपुर नगर ।

दिनांक- 05.08.2024

संलग्नक – विकल्प पत्र ।

कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर।

पत्रांक 1869/I / कानपुर नगर, दिनांक 06, अगस्त 2024,
महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर

(शासनादेश संख्या- 20/2024/ सा-3-276/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांक — 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक)

विकल्प पत्र

1.	नाम	-	*राम अवतार प्रसाद (RAM AVTAR PRASAD)*
2.	वर्तमान पदनाम	-	*अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश*
3.	वेतनमान	-	*J5-144840-194660*
4.	वर्तमान विभाग का नाम	-	*न्याय विभाग (जिला एवं सत्र न्यायालय , कानपुर नगर)*
5.	राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	-	*लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद ।*
6.	विज्ञप्ति की तिथि	-	*15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन संख्या - A-2/E-1/2003)*
7.	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	-	*26 मई , 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति /नियुक्ति संख्या 2430/ दो-4-06-32(1)/ 2001 टी सी-1, लखनऊ : दिनांक 26 मई, 2006)*
8.	योगदान की तिथि	-	*19.06.2006*
9.	जन्म तिथि	-	*03.07.1975*
10.	सेनानिवृति की तिथि	-	*31.07.2035*

मैं ***राम अवतार प्रसाद*** पुत्र ***स्व० गंगा प्रसाद*** शासनादेश सं०-14/2024/ सा-3-243/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांक — 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (√)** / ~~नवीन पेंशन योजना~~ (X) **में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं** । मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय ।

हस्ताक्षर - 05.08.2024
नाम — राम अवतार प्रसाद
पदनाम — अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
कोर्ट सं० 8, कानपुर नगर।

घोषणा पत्र

मैं ***राम अवतार प्रसाद*** पदनाम ***अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० — 8,कानपुर नगर*** यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त क्रम संख्या -01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर - 05.08.2024
नाम — राम अवतार प्रसाद
पदनाम — अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 8, कानपुर नगर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री***राम अवतार प्रसाद*** पदनाम ***अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० — 8,कानपुर नगर*** को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (√)** / ~~नई पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है ।

Pradeep

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर